

नगरपालिका भूमि अबाप्ति अधिकारी, नगर विकास परिषद, जयपुर ।
जयपुर विकास प्राधिकरण भवन

क्रमांक: भू.अ./नवि/96/

दिनांक: 23-7-96

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वाहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम बदरवात तहसील जयपुर की भूमि अबाप्ति के अर्बाई अ बुधबीराज नगर

सकदमा नम्बर:
 =====

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 123/88 | 6. 140/88 |
| 2. 133/88 | 7. 146/88 |
| 3. 134/88 | 8. 147/88 |
| 4. 135/88 | 9. |
| 5. 136/88 | |



-: सू बा र्डी :-
 =====

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अबाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अबाप्ति अधिनियम, 1894/1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 की धारा 4/1 के तहत क्रमांक 6/15/नविआ/न/87 दिनांक 6.1.88 जिसका गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 7.7.88 को हुआ ।

भूमि अबाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अबाप्ति अधिनियम की धारा 6 की विधि दिनांक 28.7.89 जारी की गई जिसका राजस्थान राजपत्र में दिनांक 31.7.89 को प्रकाशन हुआ । धारा 6 की अधिसूचना का दो दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 12.8.89 को हुआ एवं निम्नानुसार भूमि के आत-वात सार्वजनिक स्थानों पर ^{83-10-89 को} बरचस्था कराया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम बदरवात तहसील जयपुर में अबाप्ताधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है:-

सू.नं.	खेतरा नम्बर	रकबा बी. बि.	नाम खेतेदार
1.	2.	3.	4.
123/88	15	00 - 05	हरी हरनाथ पुत्र नृसिंह प्रताप बारीक ता.ब्रा.
	16	01 - 04	
	17	00 - 10	
	22	06 - 16	

भूमि अबाप्ति अधिकारी
 नगर विकास योजनाएं
 जयपुर

1.	2.	3.	4.
133/88	39	02 - 08	भूरा, धीता बि. गणेश कौम ता. देह
	41	00 - 02
	42	07 - 07
	43	00 - 02	भूरा धीता बु. गणेश हि. 1/2, बोदू बु. बीजा हि. 1/4, नन्दा, रामबाल मांगीलाल हि. लादू हि. 1/4 जा. बादब ता. देह
134/88	47	20 - 14
	44	04 - 14	बोदू बु. बीजा ब नन्दा, रामबाल, मांगीलाल बि. लादू जा. बादब
135/88	45	01 - 02
	46	07 - 07
136/88	48	06 - 10	श्रीमती कमला देवी बत्ती कुन्ज बिहारीलाल हि. 1/4, श्रीमती तुशीला देवी बत्ती गोबाललाल हि. 1/4, श्रीमती उषादेवी बत्ती मोहन लाल हि. 1/4, प्रबामतुन्दर बु. जुगलकिशोर संरक्षक बली जुगल किशोर
140/88	56/1	00 - 02	श्रीरीलाल बु. आनन्दीलाल कुमावत
	106	15 - 14
146/88	77/1	18 - 02	श्रीमती प्रबपदेवी बत्ती तेजराम जाट 3/4 ब प्रबाम प्रताप सिंह राठी 3/4 बु. ठा. कोशल चन्द्र सिंह ब अमोलक रत्न कोहली बु. केदार नाथ कोहली 1/4 बराबर
147/88	79	28 - 15	भूरा, धीता बु. गणेश बत्ती, बाबू लाल, प्रभु नारायण बि. भू. माली गन्ना बु. गोना किशोरी देवी धर्मबत्ती स्व. श्री गुलाब चन्द जेन 3/4 ब प्रबामप्रताप सिंह राठी 3/4 बु. ठा. कोशल चन्द्र सिंह अमालिक रत्न कोहली पुत्र केदारनाथ कोहली कुल हि. 1/4 ता. देह
	80	40 - 04	



४६१/४४
मुकदमा नम्बर- 123/88

खतरा नम्बर-15, 16, 17 एवं 22 की खातेदारी धारा 6 के गजट के अनुसार हरिहरनाथ बु0 नृसिंह प्रताप ता. ब्राह्मण के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिनिबन्ध के तहत धारा 9-10 के नोटिफ खातेदार को दिनांक 20.10.90 एवं 17.5.91 को जारी किये गये।

दिनांक 7.6.91 को अधिसूचना तमिति बदनपुरा हा. तोताबटी लि0जबपुर की तरफ से एक आबत्ति पत्र जरिये अधिबक्ता बेश किया गया। उक्त प्राप्त आबत्ति पत्र को धारा 9-10 की कार्रवाही के सम उठाये का बोर्ड अधित्व नहीं मानते हुये दिनांक 12.6.91 को खारिज की गई।

भूमि अधिबक्ता अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

दिनांक 13.6.91 को अशोक अग्रवाल द्वारा उक्त भूमि की अबाप्ति के बिरुद्ध मा0राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा जारी स्थान आदेश की फोटो-प्रति भेज की गई ।

जयपुर बिकात प्राधिकरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील करने पर अपील का निर्णय न्यायालय द्वारा जबिष्टा/राज्य सरकार के पक्ष में दिया गया । न्याय हित में खातेदारी को नोटिस जरिबे तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान दूरिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को प्रकाशन कराया गया । अर्बाई लिखाने तक खातेदार द्वारा कोई क्लेम भेज नहीं किया गया ।

मुकदमा नम्बर- 133/88, 134/88, 135/88

खतरा नम्बर 39, 41 एवं 42 की खातेदारी धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार भूरा, धीसा वि.गणेश काम ता.देह खतरा नम्बर 43, 47 की खातेदारी भूरा. धीसा. व. गणेश 1/2, बोदू बु. बीजा 1/4, नन्दा, रामपाल, मांगीलाल हि. लादू हि. 1/4 जा. बादब ता. देह खतरा नम्बर 44, 45, 46 की खातेदारी बोदू बु. बीजा व नन्दा, रामपाल, मांगीलाल वि. लादू जा. बादब ता. देह के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अबाप्ति अधिनियम के तहत धारा 9-10 के नोटिस दिनांक 17.5.91 एवं 22.10.90 को जारी किये गये ।

दिनांक 7.6.91 को बदनपुरा गृ. नि. स. समिति द्वारा एक आर्बाप्ति पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आर्बाप्ति पत्र का अब अर्बाई एवं धारा 9-10 के स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता आर्बाप्ति धारा 5-ए के समय सुनी जाती है । अतः आर्बाप्ति पत्र खारिज की जाती है ।

दिनांक 14.6.91 को अशोक अग्रवाल की तरफ से अबाप्तिधीन भूमि के बिरुद्ध स्थान आदेश राज0उच्च न्यायालय, जयपुर में, जयपुर का भेज किया गया ।

जयपुर बिकात प्राधिकरण द्वारा राज0उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील दाखल करने पर न्यायालय द्वारा निर्णय जबिष्टा/राज्य के पक्ष में दिनांक 22.4.96 को जारी किया गया । न्याय हित में खातेदारी को नोटिस जरिबे तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान दूरिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को प्रकाशन कराया गया । लेकिन खातेदार द्वारा कोई क्लेम भेज नहीं किया गया ।

जयपुर बिकात प्राधिकरण द्वारा जो तकमीना भेज किया गया है वह निम्न प्रकार है जो मालिकों को देव है :-

खतरा नम्बर-43- में स्थित कुआ की कीमत रु017548/-

खतरा नम्बर-45- में स्थित मकान 262200/- रु0

अन्य खतरा नम्बरान के बारे में तकमीने की कोई जानकारी जबिष्टा एवं खातेदार द्वारा नहीं दी गई।

मुकदमा नम्बर-136/88

भूमि अबाप्ति प्राधिकारी
जयपुर बिकात प्राधिकरण
जयपुर

सुकदमा नम्बर-136/88

उत्तरा नम्बर 48 की खातेदारी धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्रीमती कमलर देवी बत्नि कुन्ध बिहारी लाल हि. 1/4, श्रीमती सुशीला देवी बत्नी गोपाललाल हि. 1/4, श्रीमती उषादेवी बत्नी मोहन लाल हि. 1/4, श्यामसुन्दर पु. जुगलकिशोर संरक्षक बत्नी जुगल किशोर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत धारा 9-10 के नोटिफ खातेदारान को दिनांक 22.10.90 एवं 17.5.91 को जारी किये गये। दिनांक 6.6.91 को श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक द्वारा दो प्रार्थना पत्र बेश किये गये। जिनका अभिभाषक का कथन है कि उक्त प्राप्त आवाप्ति पत्र धारा 9-10 के अन्तर्गत बट्टे विधिक स्व से अब नहीं तुना जा सकता। अतः प्राप्त आवाप्ति पत्र वापस की गई।

दिनांक 12.6.91 को अगो अग्रवाल द्वारा अधिप्राप्ताधीन भूमि के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय से जारी स्थगन आदेश की प्रति पेश की गई।

श्री जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजउच्च न्यायालय, जयपुर में अपील करने पर अपील का निर्णय दिनांक 22.4.96 को उच्च न्यायालय/राज्य सरकार के पक्ष में हुआ। न्याय हित में खातेदारों को नोटिफ जरिये तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को प्रकाशन कराया गया।

दिनांक 18.6.96 को श्री सत्य नारायण सिंह अषोलो नगर हाऊसिंग सोसायटी की तरफ से एक क्लेम प्रार्थना पत्र बेश किया गया जिसमें अंकित है कि प्रार्थी समिति ने भूमि की पूर्ण कीमत काशतकारों को अदा कर दी है। गोटैन्सिबल बेल्ट की मांग की गई। क्लेम में यह भी मांग की गई कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 31(3) के तहत भूखण्डधारी, खातेदार अथवा व्यवसाय, दुकान को अवाप्ति किया जाता है तो भूखण्ड दिलाया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्लेम निम्न प्रकार मांगा गया है:-

कुल रकबा 06बीघा 10बिं वा की कीमत 1000/- प्रति ब.ग. के हिसाब से रु 11797280/-, भूमि पर स्थित निर्माण की कीमत 1300000/-, होदियों की कीमत 75000/-, घुमटी की कीमत 25000/-, डोले की कीमत 325000/-, निर्देशिका बट्टी की कीमत 11000/-, बेडों की कीमत 24000/-, छोटे बुंधी की कीमत रु 12000/-, बिधुतीकरण एवं फिटिंग्स टबब की कीमत 36000/-, डब्ल्यू.बी.एस. तडकों की कीमत 300000/-, चौकीदार का कमरा (शोषडी) की कीमत रु 44000/-, कूरे की कीमत रु 250000/- बम्ब सेट व मोटर 35000/- कूरे में बाईब लाईन व फिटिंग की कीमत रु 25000/-

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 12 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 9 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत निम्नानुसार राशि की मांग की गई। एवं अवाप्ति से हो रहे नुकसान केषेटे कुल मुआबजा राशि का 10 प्रतिशत, मानसिक तनाव केषेटे 10 प्रतिशत, अन्य स्थान पर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

परिवर्तन करने के कारण आय में कमी के घटे प्रति माह 1000/- प्रति तदर्थ ,
बोटेन्सिल बेल्ट होने के कारण कुल मुआबजा का 20प्रतिशत , धारा 5 के अन्तर्गत
आतेदारान को हुआ नुकसान कुल मुआबजा राशि का 10प्रतिशत, स्थाई व अस्थायी
तम्बित्त का नुकसान की राशि कुल मुआबजे का 10प्रतिशत, धारा 6 की बिक्रिपि
दिनांक 28.7.89 से एवं कब्जा प्राप्त करने के अन्तराल में भूमि से प्राप्त होने
वाला लाभ बढोतरी राशि 5 गुणा हो गई है अतः कुल मुआबजा राशि की कु
5गुणी कीमत व 24प्रतिशत ब्याज, तमुक्त बरिबार में बिप्टन के कारण नुकसान की
वृत्ति 5प्रतिशत , बच्चों को अन्वत्र बढाने में उनको होने वाले नुकसान वृत्ति हेतु
मुआबजा राशि का 5प्रतिशत, मकेशिर्कों को अन्वत्र स्थापित करने पर होने वाले
नुकसान हेतु 10प्रतिशत , सामाजिक व अन्व ताव में गिरावट से होने वाले नुकसान
हेतु 10प्रतिशत, नई जगड स्थापित होने पर स्थावरास्थव पर निर्भरित प्रभाव बढेगा
जितके लिए 10प्रतिशत, अन्वत्र स्थान पर भूमि की खरीदने का स्टाम्प एवं रजिस्ट्रै-
शन व अन्य विविध व्यय कुल मुआबजा राशि का 11प्रतिशत । अन्वत्र स्थान पर
भूमि इसी तरह की बिक्रिपि करने में खर्चा हेतु 20प्रतिशत धरि मांग की गई ।

उक्त क्लेम के बारे में जबपुर बिकास प्राधिकरण, अग्निष्ठा का कथन
है कि उक्त क्लेम बहुत अधिक बढा-चढा कर बेश किबा गया है जो मान्य नहीं है।
समिति ने अपने आतेदारी अधिकार संबंधी कोई बुक्ता दस्तावेजात बेश नहीं किबे
है।

हम जबपुरा अग्निष्ठा के कथन से सहमत है । जो क्लेम बेश किबा
गया है वह बहुत अधिक बढा चढा कर बेश किबा गया है जो मान्य नहीं है ।

जबपुर बिकास प्राधिकरण द्वारा खारा नम्बर 48 की भूमि पर
स्थित कूरे एवं मकानों का जो तकमिना बेश किबा गया है वह निम्नानुसार है:-

1. कूआ व होदी की कीमत रू० 33682/-
2. मकान की कीमत रू० 88992/-

दस्ता राशि मुआबजे के साथ आतेदार/मालिक को देव है ।

मुकदमा नम्बर 140/88

खतरा नम्बर 56/1 एवं 106 की आतेदारी धारा 6 के गजट नोटिफि-
के शन के अनुसार श्रीरीलाल पुत्र आनन्दीलाल कुमावत के नाम दर्ज है । केन्द्रीय
भूमि अबाप्ति अधिनियम के तहत आतेदार को धारा 9-10 के नोटिफ बश दिनांक
17.5.91 को जारी किबे गये । लेकिन कोई क्लेम प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिनांक 13.6.91 को अग्नीक अग्निवाल द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय,
जबपुर से जारी स्थगन आदेश की प्रति बेश की गई । जबपुर बिकास प्राधिकरण

भूमि अबाप्ति अधिकारी
जबपुर बिकास योजनाएं
जबपुर

द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील करने पर अपील का निर्णय जिला/राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.4.96 को पारित किया गया। न्याय हित में खातेदारों को नोटिस जरिबे तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान बतिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को प्रकाशित कराया गया। लेकिन कोई भी खातेदार द्वारा क्लेम बेश नहीं किया गया।

दिनांक 13.6.96 को अशोक अग्रवाल द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से जारी स्थान आदेश की प्रति बेश की गई। जयपुर बिकानेर प्राधिकरण द्वारा अपील करने पर न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 22.4.96 को जिला/राज्य सरकार के पक्ष में जारी किया गया। न्याय हित में खातेदारों को नोटिस जरिबे तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान बतिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को प्रकाशित कराया गया। लेकिन कोई भी खातेदार उपस्थित होकर क्लेम बेश नहीं किया गया।



मुकदमा नम्बर-146/88, 147/88

खतरा नम्बर- 77/1 की खातेदारी धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्रीमती श्रवणदेवी धरनी तेजराम, जाट 3/4 व श्याम प्रताप सिंह राठौड़ पु.ठा. कौशल चन्द्र सिंह व अमोलक रत्न कोहली पु. केदार नाथ कोहली 1/4 बराबर ख. नं. 79 की खातेदारी भूरा, धीता, पु. गणेश बट्टी, बाबूलाल, प्रभु नारायण पि. भेरु माली गन्ना पु. गोना किशोरी देवी धर्म धरनी स्व. श्री गुलाब चन्द जैन 3/4, कौशल चन्द्र सिंह अमोलक रत्न कोहली पु. केदारनाथ कोहली कुल हि. 1/4, सा. देह ख. नं. 80 की खातेदारी गन्ना पुत्र गोमा हि. बराबर सरकार इन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह 1/4 सरदार दलीप सिंह जागीर सिंह पिता सरदार महात्तक 1/2 व श्याम प्रताप सिंह राठौड़ पु. ठाकुर कौशलेन्द्र सिंह, अमोलक रत्न कोहली पु. केदारनाथ कोहली 1/4 हि. 1/11 के नाम धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में अंकित है। 8

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत खातेदारों को नोटिस दिनांक 30.4.90, 22.10.90 एवं 17.5.91 को जारी किये गये। दिनांक 3.6.91 को एक रजिस्टर्ड ए. डी. पत्र आबेन्द्रपाल सिंह पु. हुकम सिंह का प्राप्त हुआ जिसमें ख. नं. 77 के बारे में अपना हक व हित बताया गया। लेकिन उक्त भूमि जो अवाप्ति की जा रही है वह धारा 6 के अनुसार खतरा नम्बर 77/1 की अवाप्ति की जा रही है अतः उक्त प्रार्थना पत्र का संबंध अवाप्ताधीन भूमि से होना नहीं माना जाता। प्रार्थी ने अपने हितों की भूमि का कोई नक्शा भी बेश नहीं किया गया है जिससे भूमि की स्थिति की जानकारी हो सके।

दिनांक 6.6.91 को पृथ्वी सिंह द्वारा एक प्रार्थना श्रवण देवी की तरफ से ख. नं. 77/1 की 18वीं पीठ 02 बिस्बा भूमि का बेश किया जिसमें उक्त भूमि दिनांक 18.12.73 को विक्रय पत्र क्रय करना बताया व वर्तमान में कायम करना

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

बताया । प्रार्थी ने क्लेम में 18बीघा 2बिस्वा का 5 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मांग की है । ब वेड-बौधी , नाली, कच्चा डोला की लागत करीब 50हजार रु की मांग की है ।

जबपुर बिकात प्राधिकरण अभिभाषक का कथन है कि उक्त क्लेम में जो दर मांगी गई है वह बहुत अधिक है और दर के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण भी पेश नहीं किये गये है । तकमीने आदि की जो राशि मांगी गई है उसके संबंध में कोई रजिस्टर्ड इन्डेंटिफिकेशन से तकमीना बना कर पेश नहीं किया गया है । अतः उक्त क्लेम मान्य नहीं है । हम जबाब के उक्त कथन से सहमत है क्लेम मान्य नहीं है ।



दिनांक 13.6.96 को अग्रीक अग्रबाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त भूमि की अबाप्ति के विरुद्ध रा.उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है । जबपुर बिकात प्राधिकरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दाखल करने पर अपील का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.4.96 को जबाब/राज्य सरकार के पक्ष में हुआ । न्याय दित में खातेदारों को नोटिस जरिये तीन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को कराया गया ।

दिनांक 18.6.96 को अपोलो नगर हाऊसिंग सोसायटी की तरफ से अग्रीक अग्रबाल द्वारा सं.नं. 77, 79 एवं 80 की बाबत क्लेम पेश किया जिसमें रकबा 8बीघा 03बिस्वा भूमि की कीमत 1000/-प्रति ब.गज के हिसाब से राशि रु 14792400/- की मांग की गई । भूमि पर स्थित निर्माणों की राशि रु 2100000/-, योजना में पानी की पाइप लाईन अण्डर ग्राउण्ड की कीमत रु 200000/-, होदिबों की कीमत 15,000/-, धुमटी की कीमत 15,000/-, डोले की कीमत 700000/-, निर्देशिका पट्टी की कीमत 1000/-, पेडी की कीमत 30,000/-, छोटे बुंधी की कीमत 15,000/-, बिद्युतीकरण एवं फिटिंग टवब की कीमत 150000/- डब्ल्यू.बी.एम. सर्वेको की कीमत 400000/- चौकीदार का कमरा (शोपडी) की कीमत 22000/-, कुए की कीमत 250000/-, कुए में पाईप लाईनस फिटिंग रु 35000/-

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 12प्रतिशत, 30प्रतिशत 9प्रतिशत एवं 15प्रतिशत राशि की नियमानुसार मांग की गई । अबाप्ति से हो रहे नुकसान के घटे कुल मुआबजा राशि का 10प्रतिशत , मानसिक तनाव के घटे 10प्रतिशत, अन्व स्थान परिवर्तन करने के कारण आव में कमी के घटे प्रतिमाह 1000/- प्रति तदर्थ घाटे निम्न बेल्लू होने के कारण कुल मुआबजा राशि का 20प्रतिशत, धारा 5 के अन्तर्गत खातेदारान को हुआ नुकसान कुल मुआबजा राशि का 10प्रतिशत, स्थाई व अस्थायी तम्बल का नुकसान की राशि कुल मुआबजे पर 10प्रतिशत , धारा 6 की विधि दिनांक 28.7.89 से एवं कब्जा प्राप्त करने के अन्तराल में भूमि से प्राप्त होने वाला लाभ बढोतरी राशि शुणा हो गई है अतः कुल मुआबजा राशि की 5 गुणी कीमत ब

भूमि अबाप्ति अधिकारी
नगर बिकास योजनाएं
जबपुर

ब 24 प्रतिशत हवाज, तबूक्त परिवार में विधेदन के कारण नुकसान की पूर्ति 5 प्रतिशत बच्चों को अन्वय बढ़ाने से उनको होने वाले नुकसान पूर्ति हेतु मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत, मवेशियों को अन्वय स्थापित करने बढ़ होने वाले नुकसान हेतु 10 प्रतिशत, प्रतामाजिक व अन्वय ताख में गिरावट से होने वाले नुकसान हेतु 10 प्रतिशत, नई जगह स्थापित होने पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिसके लिये 10 प्रतिशत, अन्वय स्थान पर भूमि खरीदने पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन व विविध चर्च कुल मुआवजा राशि का 11 प्रतिशत की मांग की गई। अन्वय स्थान पर इत भूमि की तरह विकसित करने में खर्चा हेतु 20 प्रतिशत की उक्त क्लेम में मांग की गई।

उक्त क्लेम में बारे में जबपुर बिकास प्राधिकरण अभिभाषक का कथन है कि उक्त क्लेम समिति द्वारा बेश किबा गबाइहे समिति ने अपने खातेदारी संबंधी कोई दस्तावेजात बेश नहीं किबे है ॥ क्लेम जो मांगा गबा है वह बहुत ही अधिक बढ़ा-चटा कर बेश किबा गबा है जो मान्य नहीं है।

हम प्राधिकरण अभिभाषक के कथन से सहमत है जो क्लेम मांगा गबा है वह बहुत अधिक बढ़ा-चटा कर बेश किबा गबा है अतः क्लेम मान्य नहीं है।

जबपुर बिकास प्राधिकरण ने जो तकमीना बेश किबा गबा है वह निम्ना-नुसार है जो खातेदार/मालिक को देय है:-

- खतरा नम्बर- 79 में स्थित कूआ व होदी की कीमत -62630/-
- खतरा नम्बर- 79 में स्थित मकान की कीमत रु057800/-
- खतरा नम्बर -80 में स्थित कूआ व होदी की कीमत रु054830/-
- खतरा नम्बर-80में स्थित मकान की कीमत रु0271968/-
- खतरा नम्बर-80 में स्थित कूआ/होदी रु015050/-
- खतरा नम्बर-80 में स्थित मकान की कीमत-98700/-
- खतरा नम्बर-137/134/163-

धारा 6 में उक्त खतरा नम्बर अवाप्ति में दर्शाया गया है। धारा 6में उक्त खतरा नम्बरान्न का रकबा एवं खातेदार का नाम अंकित नहीं किबा गबा है। उक्त भूमि का अबाई हम वहां 24,000/- प्रति बीघा के हिसाब से कर रहे है। मुआवजा भुगतान खातेदार द्वारा खातेदारी दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। उक्त भूमि की अवाप्ति के संबंध में कितनी भी खातेदार द्वारा कोई क्लेम/आवाप्ति बेश नहीं की गई है।

मुआवजा निर्धारण

जबपुर बिकास प्राधिकरण अभिभाषक का कथन है कि उक्त अबाई में जो खातेदारों/हितधारियों ने क्लेम की मांग की है वह बढ़ा-चटा कर बेश किबा गबा है जो मान्य नहीं है। जबपुर बिकास प्राधिकरण अभिभाषक का कथन है कि मुआवजा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर बिकास योजनाएं
जयपुर

राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से तब की जाती है तो जबपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस ग्राम की भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/- प्रति बीघा की दर से अर्बाई धारित किए गये हैं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा भी किया जा चुका है।

हमने जबपुर विकास प्राधिकरण अभिभावक का पक्ष समर्थन देना चाहते हैं कि उक्त मामले में भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित है एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के तहत भूमि की कीमत बढ़ी थी।



इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- प्रति बीघा की दर से तब करते हैं लेकिन मुआवजा राशि का मुकतान विधिक तब से जालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात बेश करने पर ही किया जाएगा। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत धारा 23(ए-1) एवं 23(2) के तहत मुआवजे की राशि पर निम्नानुसार 30 प्रतिशत तोलेशिक्म एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार की राशि भी देव होगी।

यह अर्बाई आज दिनांक 25.7.96 को धारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जबपुर।
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जबपुर

धारा 23(2) के तहत नोटिफिकेशन जारी है।
पं. 6/153 नं. वि. धा/87 प्लॉट जबपुर दिनांक 30.8.96
द्वारा यह अर्बाई अनुमोदन लेबर प्लॉट द्वारा
सर्वेक्षण से व्यक्त किया जाता है। अर्बाई की प्रतिलिपि
सचिव नं. वि. धा को मुख्यालय राशि निम्नानुसार देव
है तथा शोचनीय को धारा 12(2) के तहत भूमि अधिग्रहण
अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी है। 30/8/96